संविधान पर गांधी के आदर्श मूल्यों की प्रतिछाया

(संदर्भः संविधान दिवस 26 नवंबर हेतु)

- प्रमोद भार्गव

महात्मा गांधी की संविधान के प्रत्यक्ष लेखन में कोई भूमिका नहीं रही, किंतु उनके - सबके लिए न्याय, समता और अपरिग्रह के आदर्श मूल्य थे, उनकी प्रतिछाया जरूर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अंतरनिहित है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति प्रजा में होनी चाहिए, इसलिए उनकी परिकल्पना को ही साकार रूप में अवतरित करने की दृष्टि से पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है। अण्णा हजारे ने गांधी के इन्हीं मंत्रों से सामाजिक शक्ति प्राप्त कर लोकहितकारी कानून बनाने के दृष्टिगत सत्ताधारियों को विवश किया है। लोकतंत्र के पहरुए उन्हें आचरण में नहीं ढाल पाते, फलतः संविधान के अनुच्छेदों को परिभाषित भी बाहुबलियों के अनुरूप कर दिया जाता है। यह विडंबना गांधी की उस आत्मा को कचोटती होगी, जिसका बल ही सत्यनिष्ठा और नैतिकता थी।

गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। गोपालकृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने किसान की वेषभूशा में भारत की यात्रा की। इस एक साल के भीतर उन्होंने देश और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से जाना-समझा। जो भी नेता व आंदोलनकारी देश की परिस्थितियों के बदलाव में सनय थे, उनसे संपर्क साधा। इसी समय महामना मदनमोहन मालवीय काशी हिंदू विश्व-विद्यालय के निर्माण में लगे थे। इसे साकार रूप देने के लिए राजा-महाराजाओं और जमींदारों से चंदा लिया था। 4 फरववरी 1916 को इसके आधारशिला कार्यक्रम में उन्होंने गांधी को भी आमांत्रित किया। इस अवसर पर लार्ड हार्डिज, एनी बेसेंट और आर्थिक सहयोग देने वाले अनेक राजा-महाराजा उपस्थित थे। राजा-महाराजा रत्न-जड़ित कीमती वस्त्र और सोने के गहने पहने हुए थे। जबकि गांधी जी सफेद धोती-कुर्ते के साथ सिर पर स्वाफा धारण किए हुए थे।

शिलान्यास समारोह में उद्बोधनों का क्रम शुरू हुआ। सभी ने अंग्रेजी में अपनी बात कही। महामना ने गांधीजी से भी अंग्रेजी में संबोधित करने का आग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देते हुए कहा, 'मुझे इस बात से संकोच हो रहा है कि विदेशी भाषा में बोलने को विवश किया गया है।' उनकी पहली पंक्ति सुनकर सब चकित रह गए। गांधीजी आगे बोले, 'जो लोग महल बनाते हैं। भोग-विलास की जिंदगी जीते हैं, वे हकीकत में किसान-मजदूर की खून-पसीने की कमाई का शोषण करते हैं। सामंतों की समूची दौलत गरीबों के खून से पैदा हुई है। जब तक आप लोग इन महंगे कपड़ों को उतारकर नहीं फेकेंगे, तब तक भारत का कल्याण संभव नहीं है। आप लोगों को इस संपत्ति को देशवासियों को सौंप देना चाहिए।'

एनी बेसेंट समेत तमाम सामंत तिलमिला उठे। गांधी को रोकने की कोशिशें हुईं, लेकिन वे सुरक्षा घेरे में बैठे वायसराय हार्डिज को इंगित कर बोले, 'आखिर वायसराय संदेह की दीवार से क्यों घिरे रहते हैं ? इस तरह भयभीत रहकर जीने से तो अच्छा मर जाना है। हमें ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, चाहे वे फिर राजा-महाराजा हों या किंग जॉर्ज!' गांधी जी के इस भाषण से कई सामंत बीच सभा से उठकर चले गए। इसे उन्होंने अपना अपमान माना। एनी बेसेंट भी चली गईं। परंतु गांधी जी को जो कहना था, वह कहकर ही थमे। यह दो टूक कटु सत्य स्वंतत्रता आंदोलन के बदलते नेतृत्व का प्रतीक था। यहीं से गांधी जी बदलाव के केंद्रीय ध्रुव बनने लग गए। यही वह भाषण था, जिसमें संविधान के अन्याय, अपरिग्रह, स्वतंत्रता, असमानता और भाषाई नीति-निर्देशक तत्व प्रच्छन्न थे। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। संविधान सभा द्वारा 26 नबंवर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इनमें 15

महिलाएं थीं। इसकी प्रस्तावना में ध्येय वाक्य लिखा गया, 'संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया।' संविधान निर्माण की प्रक्रिया लंबी चली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जहां-जहां अधिवेशन होते थे, उनमें अक्सर मूलभूत अधिकार और मांगें, विवरणिका में शामिल की जाती थीं। ऐसे अधिकारों की मांग की शुरूआत 1918 में मुंबई अधिवेषन से हुई। इन सब पर गांधी का प्रभाव परिलक्षित था। इसमें राज्य संघ विधेयक का आरंभिक प्रारूप पारित किया गया। जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1925 में अंतिम रूप दिया। इसमें विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वधर्म पालन की स्वतंत्रता जैसे अधिकार सम्मिलित किए गए। इन्हीं मांगों को 1927 में मद्रास अधिवेशन में दोहराया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू की समिति ने आम जनता को न्याय के साथ मानव अधिकारों की भी पैरवी की। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवशन में बुनियादी अधिकारों के साथ कर्तव्य पालन का भी उल्लेख किया गया। 1930 के प्रस्ताव में अनेक सामाजिक तथा अर्थिक अधिकारों को संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में समाविष्ट किया। हालांकि ये दायित्व मूल संविधान में दर्ज नहीं किए जा सके थे।

कालांतर में 1976 में संविधान में 42वां संषोधन करके एक नया अध्याय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय प्रणाली, अल्पसंख्यकों हेतु रक्षा उपायों और संघीय राज्य व्यवस्था के जो प्रबंध किए गए हैं, वे 1928 की नेहरू समिति के प्रस्तावों से लिए गए हैं। इन पर स्पष्टतः गांधी का प्रभाव था। अतएव कहा जा सकता है कि संविधान के करीब 75 प्रतिशत स्रोत देशी थे। इन देशी स्रोतों के अलावा नीति-निदेशक तत्वों की कल्पना आयलैंड के संविधान से ली गईं। विधायिका के प्रति उत्तरदायी वाली संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से आई। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका-शक्ति एवं संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के उपबंध अमेरिकी संविधान से लिए गए। संविधान की मूल प्रति में ही राष्ट्रगान के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, 'जन-गण-मन' और बकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास 'आनंदमठ' से 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत की श्रेणी में रखा गया।

संविधान में कुल 22 अध्याय, 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां हैं। इन 70 सालों में संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। इनमें 73 तथा 74वें संशोधन से 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। यह संशोधन स्पष्ट रूप से गांधी तथा प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थानों से प्रेरित होकर लिया गया निर्णय था। इस प्रावधान के लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थान मिल गया है। नतीजतन एक तो इनके अस्तित्व की निरंतरता बनी रहेगी, दूसरे इन्हें 6 माह से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता है। यह संशोधन गांधी के रामराज्य और स्वराज से भी प्रेरित रहा है।

भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर जिस तरह से गांधी की अंतर्भावना का प्रभाव परिलक्षित है, उसी तर्ज पर गांधी की भावना को मूल संविधान की प्रति में संलग्न चित्रों से भी प्रतिबिंबित किया गया है। यानी, इसकी इबारत को लोग सरलता से समझें, इसलिए भारतीयता से ओतप्रोत 22 चित्र, चित्रित हैं। प्रत्येक अध्याय एक नए चित्र के साथ शुरू होता है। इन चित्रों को शांति निकेतन के आचार्य नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के सौजन्य से तैयार किया था। ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा के द्योतक हैं। इन चित्रों के चारों ओर जो चैहद्दी (बॉर्डर) हैं, उसमें बहुरंगों में गाय, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर उत्कीर्ण हैं। ये कृषि एवं दुग्ध आधारित अर्थव्यस्था के साथ वन्य-जीवों के साथ मनुष्य के सह-अस्तित्व के भी प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल के फूल का भी अभिन्न महत्व है, इसलिए चैहद्दी में इस फूल को भी जगह दी गई है।

भारतीय सनातन संस्कृति और गांधी के आदर्श मूल्यों को संविधान की इबारत में शामिल कर लिए जाने के बावजूद डॉ भीमराव अंबेडकर ने इसके निष्पक्ष निर्वहन लिए इबारत की बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्य व्यवहार को उत्तरदायी ठहराया था। उन्होंने 25 नबंवर 1949 को संविधान सभा में कहा था, 'संविधान का कार्य पूर्णतः संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान सिर्फ राज्य के विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका

जैसे अंगों को शक्ति देता है। राज्य के इन अंगों की क्रियात्मकता जिन कारकों पर निर्भर करती है, वे हैं, जनता और राजनीतिक दल। उनकी आकाक्षाएं और राजनीति ही मुख्य नीति-निर्धारक हैं। भारत की जनता और उसके राजनीतिक दलों के भावी-व्यवहार के बारे में कौन क्या कह सकता है?'

अंबेडकर की यह आशंका भविष्य में लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग की गुंजाइश का प्रगटीकरण थी, जिसे हम आज संसद और विधानसभाओं में प्रत्यक्ष रूप में अवतरित होते देख रहे हैं। प्रजातंत्र की असली ताकत लोकशक्ति में होती है, किंतु यह शक्ति आज समाज से हस्तांतरित होकर शासन-प्रशासन में निहित होती जा रही है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।